उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या–315 /XX–3/2022–2(4)/2013(पार्ट II)
देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(I) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है। (II) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम–16 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ख) बुलावा पत्र निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक	(ख) बुलावा पत्र निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जिलावार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल

मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाप–जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क), महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(ख)(1) के अनुसार होंगे।

आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाप जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क) महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क)(1) के अनुसार होंगे।

परिशिष्ट 2(क) का संशोधन

3. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(क) के क्रम संख्या–1 में दिये उपबंध के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1
(विद्यमान उपबंध)

1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः–

ऊँचाई

(1)सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 168 सेंटीमीटर

(2) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 160 सेंटीमीटर

(3) अनुसूचित जनजाति हेतु– 157.5 सेंटीमीटर

सीने की माप

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	81.3 सेमी0	86.3 सेमी0

टिप्पणीः– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव आवश्यक है।

स्तम्भ–2
(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध)

1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः–

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 165 सेंटीमीटर

(2) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 160 सेंटीमीटर

(3) अनुसूचित जनजाति हेतु– 157.5 सेंटीमीटर

सीने की माप

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	81.3 सेमी0	86.3 सेमी0

टिप्पणीः– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

परिशिष्ट 3(क) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–3(क) के क्रम संख्या–1 में दिये उपबंध के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात,

स्तम्भ–1
(विद्यमान उपबंध)

1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः–

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 167.7 सेंटीमीटर

(2) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए– 160.0 सेंटीमीटर

(3) पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए– 162.6 सेंटीमीटर

सीने की माप

सामान्य व अन्य वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0
अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0

टिप्पणीः– न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

स्तम्भ–2
(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध)

1– अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः–

ऊँचाई

1) सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम– 167.7 सेंटीमीटर

(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए– 160.0 सेंटीमीटर

(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए– 162.6 सेंटीमीटर

सीने की नाप

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	बिना फुलाये	फुलाने पर
	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0
अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0

टिप्पणीः– सीने में न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य है।

परिशिष्ट 2(क)1 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(क)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–

स्तम्भ–1
(विद्यमान परिशिष्ट)

परिशिष्ट–2(क)(1){नियम 15(ख) देखे}
महिला अग्निशामक (फायरमैन) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख

स्तम्भ–2
(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)

परिशिष्ट–2(क)(1) {नियम 16(ख) देखे}
महिला अग्निशामक (फायर वुमेन) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:– **ऊँचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग–152 सेंटीमीटर (2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर **वजन–** न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।	महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:– **ऊँचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति– 152 सेंटीमीटर (2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर **वजन–** न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

परिशिष्ट 3(क)1 का संशोधन 6. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–3(क)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 **(विद्यमान परिशिष्ट)**	**स्तम्भ–2** **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)**
परिशिष्ट–3(क)(1){नियम16(ख) देखे}	**परिशिष्ट–3(क)(1) {नियम 16(ख) देखे}**
महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख	महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख
2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:– **ऊँचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग– 152 सेंटीमीटर (2)अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर	महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है:– **ऊँचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति हेतु– 152 सेंटीमीटर (2) अनुसूचित जनजाति हेतु– 147 सेंटीमीटर (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 147 सेंटीमीटर
टिप्पणी– वजन न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।	टिप्पणी– वजन न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 होना अनिवार्य है।

परिशिष्ट 2(ख)1 का संशोधन 7. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट–2(ख)1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात :–**

स्तम्भ–1
(विद्यमान परिशिष्ट)
परिशिष्ट–2(ख)(1) {नियम 16(ग) देखे} महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

2– महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णाक 20 अंक)	16 मीटर 20 मीटर 24 मीटर 28 मीटर 32 मीटर	10 12 14 16 20
2	लम्बी कूद (पूर्णाक–20 अंक)	8 फिट 9 फिट 10 फिट 11 फिट 12 फिट 13 फिट	10 12 14 16 18 20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णाक 20)	16 सेकेण्ड 15 सेकेण्ड 14 सेकेण्ड 13 सेकेण्ड 12 सेकेण्ड 11 सेकेण्ड	10 12 14 16 18 20
4	शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णाक 20)	29 सेकेण्ड 28 सेकेण्ड 27 सेकेण्ड 26 सेकेण्ड	10 14 18 20
5	स्किपिंग (पूर्णाक 20)	55 बार 01 मिनट 60 बार 01 मिनट 65 बार 01 मिनट 70 बार 01 मिनट 75 बार 01 मिनट 80 बार 01 मिनट	10 12 14 16 18 20

स्तम्भ–2
(एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)
परिशिष्ट–2(ख)(1) {नियम 16(ग) देखे} महिला अग्निशामक (फायर वुमेन) की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णाक 20 अंक)	16 मीटर 20 मीटर 24 मीटर 28 मीटर 32 मीटर	10 12 14 16 20
2	लम्बी कूद (पूर्णाक–20 अंक)	8 फिट 9 फिट 10 फिट 11 फिट 12 फिट 13 फिट	10 12 14 16 18 20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णाक 20)	16 सेकेण्ड 15 सेकेण्ड 14 सेकेण्ड 13 सेकेण्ड 12 सेकेण्ड 11 सेकेण्ड	10 12 14 16 18 20
4	शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णाक 20)	29 सेकेण्ड 28 सेकेण्ड 27 सेकेण्ड 26 सेकेण्ड	10 14 18 20
5	स्किपिंग (पूर्णाक 20)	55 बार 01 मिनट 60 बार 01 मिनट 65 बार 01 मिनट 70 बार 01 मिनट 75 बार 01 मिनट 80 बार 01 मिनट	10 12 14 16 18 20

शारीरिक मानक परीक्षा में अर्ह पाई गई महिला अग्निशामक अभ्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णाक–100) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेन्ट में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में महिला

अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रकिया से पृथक कर दिया जायेगा।

(1) महिला अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नही होगी जिससे परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो।

(2) शारीरिक दक्षता परीक्षण के परिणाम उसी दिन सूचना पटट् पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(3) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।